न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 116 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट

1. अन्तरी बेवा हरा उम्र 69 साल निवासी हरूपोणियों की ढाणी पटवार हल्का कवास
2. भुरी पुत्री हरा पत्नी ईशराराम उम्र 44 साल जातियान माली निवासी हरूपोणियों की ढाणी हाल चामुण्डा मन्दिर के पास बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.मोतीराम पुत्र तुलछाराम
2.देवाराम पुत्र तुलछाराम
3.लालाराम पुत्र तुलछाराम
4.हुकमाराम पुत्र दुर्गाराम
5.अऊकार पुत्र वीरमाराम
6.छगनाराम पुत्र वीरमाराम
7.भीखाराम पुत्र वीरमाराम
8.चम्पा बेवा वीरमाराम
9.प्रकाश पुत्र भूराराम
10.निम्बाराम पुत्र भूराराम
11.धापू पत्नी भूराराम
12.आम्बाराम पुत्र चांदाराम
13.लाभूराम पुत्र हराराम
14.पेम्पों पुत्री हराराम जातियान माली निवासीयान माडपुरा सानी (कवास) तहसील व जिला बाड़मेर
15.तहसीलदार बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 110 / 2012 बअनवान अन्तरीदेवी वगैरा बनाम मोतीराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.07.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सज्जनसिंह भाटी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 26.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट / वादी द्वारा एक वाद इस आशय का पेश किया कि मौजा खसरा संख्या 231 / 33 रकबा 45.15 बीघा भूमि मौजा हरूपोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाड़मेर बाबत अपीलांटगण की अनुपस्थित में एकतरफा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों व दस्तावेजात को अनदेखा कर अपने विवेक व बुद्धि का इस्तेमाल किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन आराजी अपीलांटगण के पूर्वज स्व. हराराम के वैध व विधिक उतराधिकारी होने के कारण वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण की पैतृक भूमि होने के कारण हिन्दू उतराधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधिनियम की धारा 5, 6 व 8 के तहत अपीलांटगण का हिस्सा वादग्रस्त आराजी में निहित हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को न तो सुनवाई का अवसर दिया साथ ही अपीलांट को अपना पक्ष रखने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर एवं विधि की मंशा के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थित में पारित किया गया है। अपीलाधीन आराजी अपीलांटगण के पूर्वज स्व. हराराम के वैध व विधिक उतराधिकारी होने के कारण वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण की पैतृक भूमि होने के कारण हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 5, 6 व 8 के तहत अपीलांटगण का हिस्सा वादग्रस्त आराजी में निहित हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद की पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट कवास में रखी गई, जिस बाबत अपीलांटगण को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। प्रकरण में वाद की प्रक्रिया को अपनाये बिना यथा तनकीयात कायम कर साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर व मौके की मौका रिपोर्ट तलब करने के बाद ही वाद को गुणावगुण पर निस्तारित करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से अपीलांट का वाद प्रमाणित नहीं होने से केम्प कोर्ट में क्षैत्राधिकार के बिंदु पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के निस्तारण की प्रक्रिया को अपनाते हुए निस्तारण नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में अपना वाद प्रमाणित नहीं कर सकी अपीलांटगण ने वादग्रस्त भूमि के बारे में भरे गए विरासतन नामांतरकरण को भी चुनौती नहीं दी हैं इसके अभाव में वह अपना हक पाने की अधिकारी नहीं ठहरते है। बेचान के विक्रय पत्र प्रभाव में है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र के प्रभाव में रहते अपीलांटगण राजस्व न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने की अधिकारी नही है और विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण के अधिवक्ता जब अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटग के वाद की जानकारी लेने गये तब रीडर ने अपीलांटगण के अधिवक्ता को अवगत करवाया कि हस्तगत वाद कैम्प कोर्ट में क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर खारिज कर दिया है तब अपीलांटगण के अधिवक्त ने अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 15.07.2016 को ही आवेदन प्रस्तुत कर दिया तथा अपीलाधीन निर्णय की नकले दिनांक 27.09.2016 को अपीलांटगण के अधिवक्ता को दी गई तब सर्वप्रथम जानकारी हुई जिस पर अपीलांटगण द्वारा सम्यक तत्परता एवं सद्भावना से तुरन्त ही अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपली पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय कवास में सुनवाई हेतु रखी। इस बाबत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांटगण को कोई नोटिस दिया। अपीलांटगण की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के संबंध में विक्रय–विलेख प्रभावी होने से क्षेत्राधिकार के बिंदु पर ही नियमित वाद खारिज कर दिया। अपीलाधीन आराजी अपीलांटगण के पूर्वज

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

स्व. हसराम के वैध व विधिक उतराधिकारी होने के कारण वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण की पैतृक भूमि होने से हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों मुताबिक इस पुश्तैनी वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हक निहित था। तत्पश्चात यदि कोई विक्रय विलेख निष्पादित हुआ है तो वह उसके हक–हिस्से तक प्रारंभत शून्य एवं निष्प्रभावी(Null & Void) है उसे निष्प्रभावी कराने की कोई इस्तदुआ अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण के द्वारा प्रस्तुत वाद में नहीं चाही है। अपीलांटगण को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांटगण को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 110/2012 बअनवान अन्तरीदेवी वगैरा बनाम मोतीराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.07.2016 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को निर्देश दिये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर के समक्ष दिनांक 28.01.2020 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। इससे पूर्व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावे।

26/12/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner